राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक :प.3(35)/नि.कृ./लेखा/बजट/प्रतिबद्व/2019–20/ **दिनांक** :

परिपत्र

राज्य निधि (प्रतिबद्व) के विभिन्न बजट मदों में उपलब्ध संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बजट आवंटन किया जा चुका है। बजट आवंटन करते समय अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त मांगो का उपलब्ध बजट प्रावधान के दृष्टीगत यथा संभव पूर्ण ध्यान रखा गया था।

वित्तीय वर्ष 2019–20 समाप्ति की ओर है, परन्तु IFMS पर उपलब्ध व्यय आंकडों के अनुसार कई बजट मदों (यथा–यात्रा व्यय/चिकित्सा व्यय) आदि में आवंटित राशि का सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा उपयोग/पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है, जबकि कई अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा आवंटित राशि का उपयोग करने के पश्चात अतिरिक्त बजट आवंटन की मांग की जा रही है। उपरोक्त स्थिति के दृष्टीगत उपलब्ध बजट के पूर्ण उपयोग हेतु विभिन्न बजट मदों में अनुपयोजित उपलब्ध शेष राशि को बचत मानते हुए दिनांक 20.03.2020 को सांय 5.00 बजे प्रत्याहारित कर लिया जावेगा। अतः आपके कार्यालय को आवंटित बजट राशि का आवश्यकतानुसार पूर्ण उपयोग करना सुनिश्चित करावें।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 की समाप्ति पर आपके कार्यालय का अंतिम व्यय IFMS पर उपलब्ध व्यय को मानते हुए ही दर्ज किया जावेगा। अतः सम्बन्धित मदों में व्यय राशि दर्ज करते समय बजट मद का पूर्ण ध्यान रखा जावे। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात यदि किसी कारण से कोई भी बिल कोषालय/बैंक से पारित होने से रह जाता है अथवा आपके कार्यालय से सम्बन्धित किसी भी बजट मद में कोई ऋणात्मक प्रविष्टि है, तो इसकी पूर्ण प्रमाणिक सूचना दिनांक 03.04.2020 तक व्यक्तिशः अथवा ई–मेल के माध्यम से आवश्यक रूप से मुख्यालय को दी जावें, ताकि महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार को विभागीय व्यय की एकजाई रूप से सही सूचना भेजी जा सके।

इसे अति आवश्यक समझा जावें।

(सिरमौर मीना)
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक :प.3(35)/नि.कृ./लेखा/बजट/प्रतिबद्व/2019–20/ 1701-05 **दिनांक** : 18/3/20

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन), मुख्यालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, कृषि (योजना), मुख्यालय, जयपुर।
3. समस्त आहरण वितरण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, कृषि विभाग .... जयपुर।
4. ए.सी.पी. को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश को कृषि विभाग की बेबसाइट पर उपलब्ध करावें।
5. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान, मुख्यालय जयपुर।

वित्तीय सलाहकार